[2010] 2 एस. सी. आर 443

रशीदा हारून कुपुराडे

बनाम

संभागीय प्रबंधक, ओरिएण्टल बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य ।

(सिविल अपील सं. 1638/2010)

8 फरवरी, 2010

[अल्तमस कबीर और सिरियाक जोसेफ, जेजे.]

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923:

एसएस।3 वाहन दुर्घटना-छह माह के बाद पीड़ित की मौत- कामगारों के मुआवजे के लिए आयुक्त द्वारा बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराते हुए पारित मुआवजे के पंचाट को उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए पलट दिया गया कि नियोक्ता उत्तरदायी था न कि बीमाकर्ता - अभिनिर्धारित :उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने में एक त्रुटि की है कि इस तथ्य के बावजूद कि दुर्घटना और श्रमिक की मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं था, विचाराधीन वाहन का मालिक अभी भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। धारा 3 को ध्यान में

रखते हुए , नियोक्ता द्वारा मुआवजा केवल तभी देय होगा जब किसी कर्मचारी को दुर्घटना से चोट लगी हो और उसके रोजगार के क्रम में उसके प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए दुर्घटना होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, दुर्घटना और श्रमिक की मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि दुर्घटना उसकी मृत्यु से छह महीने पहले हुई थी।ऐसी परिस्थितियों में, जहां तक नियोक्ता से संबंधित टिप्पणियों का संबंध है, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है- बीमा- बीमाकर्ता का दायित्व ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील सं. 1638/2010

कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलोर एम. एफ. ए. सं. 3340/2004 के 4.8.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी के लिए आर. एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश, राहुल त्यागी, जे. के. नय्यर, अश्विनी गर्ग, कोमल किशोर आर. जोशी, पी. पी. सिंह।

प्रत्यर्थीगण की ओर से रमेश चंद्र मिश्रा, डॉ. मीरा अग्रवाल।

न्यायालय का आदेश दिया गया।

आदेश

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. अनुमति दी गई।

3. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को नोटिस दिए जाने के बावजूद, उनमें से किसी ने भी जब इसे विचार के लिए लिया जाता है ,अपील का विरोध करने के लिए उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना है।हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी No.1/ बीमा कंपनी की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई है।

4.यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलोर के कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 (1) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम'के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत एम. एफ. ए. सं. 3340/2004 में 31 दिसंबर, 2003 के आदेश को दरकिनार करने के लिए, जिसे कर्मचारी मुआवजा आयुक्त, उप-मंडल-1, बेलगाम द्वारा मामले No.WCA/FSR 1/03 में पारित किया गया था के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।उक्त निर्णय द्वारा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा दिए गए मुआवजे को चुनौती देने वाली बीमा कंपनी की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, इस निष्कर्ष पर कि चूंकि मृतक कर्मचारी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी, अर्थात् दिल का दौरा पड़ने से, बीमा कंपनी को उक्त पंचाट का भुगतान करने का दायित्व के साथ नहीं बांधा जा सकता था क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु और दुर्घटना के बीच कोई संबंध नहीं था, जो उसकी मृत्यु से लगभग छह महीने पहले हुई थी।हालांकि, अपील का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि सबसे अच्छे रूप में, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध मृतक और बीमित व्यक्ति के बीच का है विवाद में नहीं है और रोजगार के दौरान और उसके दौरान हुई मृत्यु में,

देयता नियोक्ता पर निर्धारित की जा सकती है न कि बीमा कंपनी पर। इसलिए, दावेदारों को वाहन के मालिक से मुआवजे की राशि की वसूली के लिए अनुमति दी गई थी।यह अपील वाहन के मालिक द्वारा उक्त टिप्पणियों और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के खिलाफ दायर की गई है।

5. अपीलार्थी / वाहन के मालिक की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों की उच्च न्यायालय द्वारा यह देखते हुए गलत व्याख्या की गई थी कि कर्मचारी की मृत्यु का दायित्व, भले ही इसका दुर्घटना से कोई संबंध न हो, वाहन के मालिक के साथ था।श्री हेगड़े द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 3, जो मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्व को निर्धारित करती है, उप-धारा (1) में इंगित करती है कि यदि किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के कारण और उसके दौरान दुर्घटना से व्यक्तिगत चोटें आती हैं, तो उसका नियोक्ता अध्याय II के प्रावधानों, जो श्रमिकों के मुआवजे से संबंधित है के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।जहां तक वाहन के मालिक का संबंध है, धारा 3 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए दुर्घटना और कर्मचारी की मृत्यु के बीच कुछ संबंध होना चाहिए, इस प्रभाव के लिए परंतुक में कुछ अपवाद बनाए गए हैं।

6. प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी की ओर से, यह दोहराने की मांग की गई है कि चूंकि दुर्घटना और कर्मचारी की मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं था, इसलिए

उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया था कि पंचाट के तहत भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी के साथ नहीं था।

7. संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि इस तथ्य के बावजूद कि दुर्घटना और कर्मचारी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था, विचाराधीन वाहन का मालिक अभी भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

8.पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) नीचे दी गई हैः

"3. मुआवजे के लिए नियोक्ता का दायित्व।(1)। यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोजन से और उसके दौरान दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट लगी है, तो उसका नियोक्ता इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगाः.

9. उपरोक्त धारा के शब्दों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुआवजा केवल तभी देय होगा जब किसी कर्मचारी को उसके रोजगार से और उसके दौरान दुर्घटना से चोट लगी हो।धारा 3 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए एक दुर्घटना होनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना श्रमिक के रोजगार के दौरान हुई होनी चाहिए।जैसा कि ऊपर संकेत दिया है, तत्काल मामले में, दुर्घटना

और कर्मचारी की मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि दुर्घटना उसकी मृत्यु से छह महीने पहले हुई थी।

10. ऐसी परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं और जहां तक अपीलार्थी से संबंधित टिप्पणियों का संबंध है, हमारे पास इसे दरकिनार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. इसलिए अपील सफल हो जाती है। कर्मचारी मुआवजा आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार के संबंध में भुगतान करने के लिए इसमें अपीलार्थी के दायित्व के संबंध में विवादित निर्णय में की गयी टिप्पणियों को दरकिनार कर दिया गया है।निर्णय के अन्य भागों को बरकरार रखा जाता है।अपील की अनुमति है।

12. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

13.यह आदेश मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को किसी अन्य कानूनी उपाय का सहारा लेने से नहीं रोकेगा, यदि उनके पास उपलब्ध हो।

अपील की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।